मितानिन हेल्प डेस्क का क्रियान्वयन

मितानिन हेल्प डेस्क का उद्देश्य है कि शासकीय अस्पतालों में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने में मदद करना। राज्य के प्रत्येक जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इसका क्रियान्वयन किया जाना है। कुछ सिविल अस्पतालों में भी हेल्प डेस्क गठित किये जा सकते है। जिला मुख्यालय वाले कुछ विकासखण्डों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हेल्प डेस्क क्रियान्वयन अनिवार्य नहीं है।

मितानिन हेल्प डेस्क हेतु संस्था में निर्धारित स्थान होना चाहिए, जिसमें कुर्सी, टेबल, आलमारी व हेल्प डेस्क बोर्ड उपलब्ध हो। इस हेतु जिलो को वर्ष 2009–10 में राशि दी जा चुकी है।

मितानिन हेल्प डेस्क का क्रियान्वयन माह में न्यूनतम 24 दिन हेल्प डेस्क फैसिलीटेटर के माध्यम से किया जाना है। हेल्प डेस्क फैसिलीटेटर की भूमिका हेतु एक अथवा अधिक मितानिनों/मितानिन प्रशिक्षकों को चयनित किया जा सकता है। उपरोक्त चयन खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला समन्वयक, ब्लॉक नोडल व्यक्ति व दोनों ब्लाक समन्वयकों की पांच सदस्यी समिति द्वारा किया जावेगा। चयन हेतु तकनीकी अनुशंसा जिला समन्वयक द्वारा प्रस्तुत की जावेगी। निर्णय करने हेतु समिति के न्यूनतम तीन सदस्य सहमत होने चाहिए। फैसिलीटेटर में परिवर्तन हेतु भी उपरोक्त समिति ही निर्णय करेगी।

हेल्प डेस्क में फैसिलीटेटर दिन में 7 घंटे उपस्थित रहने चाहिए। इस कार्य हेतु केवल उन्ही मितानिनों/प्रशिक्षकों को जोड़ा जाना है जो उपरोक्त समयानुसार उपस्थित रह सकते है। हेल्प डेस्क में जुड़े प्रशिक्षकों को राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा जारी संदर्शिका अनुसार मरीजो को मदद करने के कार्य किये जाने होंगे। हेल्पडेस्क जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत अस्पताल आ रहे हितग्राहियों अर्थात गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं पर विशेष ध्यान देंगे कि उनको कार्यक्रम में निर्धारित सुविधाएं मिल रही है या नहीं। इसकी सूचना फैसिलिटेटर द्वारा मितानिन हेल्पलाइन में भी दर्ज कराये जाने हेतु हेल्प डेस्क में शिकायत/सुझाव पेटी व पंजी की व्यवस्था की जावेगी।

हेल्प डेस्क में मितानिन/प्रशिक्षक द्वारा किये गये कार्यदिवस अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना है एवं प्रशिक्षकों के लिए ये दिवस निर्धारित 20 दिन प्रति माह के अतिरिक्त होंगे। उपरोक्त भुगतान हेतु जिला समन्वयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विवरण सत्यापित कर राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र को प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत किया जावेगा, जिस अनुसार राशि संबंधित मितानिनों/प्रशिक्षकों को बैंक के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा भुगतान की जावेगी एवं इसकी सूचना संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराई जावेगी।